

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर केम्प - भोपाल

123-15-PB0217

प्रकरण क्रमांक

गजराजसिंह आत्मज दलीपसिंह

आयु-व्यक्त निवासी ग्राम-परसौरा

तहसील- बेगमगंज जिला- रायसेन ।

आवेदक

37

अभिभावक श्री. अ. ओ. पी. पुजे
द्वारा आज दिनांक 6/10/2016
को पेश।

अधीकृत

विद्

1- दशरथ आत्मज दलीपसिंह आयु-व्यक्त

2- राजकुमार आत्मज दलीपसिंह आयु-व्यक्त

दोनो- निवासीग्राम- हिनौतिया-

बमनई तहसील-बेगमगंज जिला-रायसेन ।

आनावेदकगण

पुर्नचिलोकन अन्तर्गत धारा-51 मध्यप्रदेश इ राजस्व संहिता -1959.

महोदय,

आवेदक द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 947/पी0बी0आर0/2015
में पारित आदेश दिनांक 6/10/2016 से दुखित एवं असंतुष्ट होकर यह पुर्न-
चिलोकन निम्नलिखित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर प्रस्तुत है :-


- प्रकरण के तथ्य -

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 75-पीबीआर/17

जिला रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1-3-2017	<p>आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में प्रकरण का अवलोकन किया गया । इस न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 947-पीबीआर/2015 में पारित आदेश दिनांक 6-10-2016 के विरुद्ध यह पुनर्विलोकन प्रस्तुत किया गया है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण <p>आवेदक की ओर से इस न्यायालय के उपरोक्त आदेश में अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि नहीं बतलाई गई है और ना ही ऐसी कोई साक्ष्य अथवा बात बतलाई गई है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी । केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षों में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता है। अतः यह पुनर्विलोकन आधारहीन होने से निरस्त किया जाता है।</p>	<p style="text-align: center;"> अध्यक्ष</p>